न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 143 / 2019
निर्णय दिनांकः– 01.04.2021

उनवान

निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद पत्नी मोतीलाल जाति ब्रहामण निवासी सुरेली हाल निवासी वार्ड न0 27 खारी कोठी दौसा जिला दौसा

–प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बरकत्तुला खा वकील प्रार्थीया
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 625 रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम निर्मला देवी है जो राशनकार्ड आधार व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम निर्मला देवी अंकित है। प्रार्थीया के पिता का विरासत का नामान्तरण भरा गया तो पटवारी हल्का की जानकारी करने पर उसे प्रार्थीया का लाड प्यार का नाम रतना बता दिया जिससें राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया नाम सहवन से निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद के स्थान पर रतना पुत्री प्रहलाद अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद के स्थान पर रतना पुत्री प्रहलाद दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 625 रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीया का नाम रतना पुत्री प्रहलाद के स्थान पर निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करें।

s.136-123

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम उनियारा आराजी ख0न0 625 रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक रतना पुत्री प्रहलाद दर्ज है। प्रार्थी निर्मला को अन्य ग्रामीण रतना के नाम से जानत है। प्रहलाद के फोत होने पर विरासत का नामान्तकरण भी तत्कालीन पटवारी रतना के नाम से ही भरा गया था। निर्मला एवं रतना दोनो नाम एक ही महिला के नाम हैं

प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में महावीर प्रसाद गौड एवं श्री रूपनारायण गुर्जर निवासी सुरज्या भेरू के शपथ पत्र पेश किया ।

प्रार्थीया की वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम सुरेली खाता संख्या 378 आराजी ख0न0 625 रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक **रतना पुत्री प्रहलाद** के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब बताया कि प्रहलाद के फोत होने पर विरासत का नामान्तकरण भी तत्कालीन पटवारी रतना के नाम से ही भरा गया था। निर्मला एवं रतना दोनो नाम एक ही महिला के नाम हैं

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि **वह आराजी ख0न0 625 रकबा 3.75 है0 वाके ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक में रतना पुत्री प्रहलाद के स्थान पर निर्मला देवी पुत्री प्रहलाद दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थीया स्वयं सूचित करेगी।**

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
उप (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

s.136.124